



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किडवाई नगर, नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



नंबर: मा.सं.प्र-1/ए-11(1)/2025/अ.के.आ./816

दिनांक: 29/10/2025

कार्यालय आदेश

विषय: वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13ए में अ.के.आ. के पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नति के संबंध में।

अपर केन्द्रीय आयुक्त के पद पर पदोन्नति के लिए 12.02.2025 को हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की सिफारिश पर, माननीय अध्यक्ष, के.न्या.बो., क.भ.नि ने पैनल वर्ष 2025 के लिए तदर्थ आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13ए में अपर केन्द्रीय आयुक्त के पद पर श्री जय कुमार, क्षे.भ.नि.आ.-I की नियुक्ति को मंजूरी देते हैं।

- तदर्थ पदोन्नति पर, अधिकारी अगले आदेश तक अपनी मौजूदा तैनाती के स्थान यानी आंचलिक कार्यालय, हुबली पर ही बने रहेंगे। तदर्थ पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।
- पदोन्नति सीलबंद लिफाफा मामलों के कारण उपलब्ध रिक्तियों के लिए तदर्थ आधार पर होगी, जब तक कि सीलबंद लिफाफा मामलों का निपटारा नहीं हो जाता है या ग्रेड में नियमित रिक्तियां उपलब्ध नहीं हो जाती हैं, जो भी पहले हो। यदि कोई अधिकारी जिसकी सिफारिश सीलबंद लिफाफे में है, को दोषमुक्त कर दिया जाता है और सीलबंद लिफाफा खोला जाता है और अधिकारी पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो उसे पदोन्नति में प्राथमिकता दी जाएगी, यदि कोई हो और यदि इस अधिकारी के लिए कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं है तो सबसे कनिष्ठ अधिकारी को रिवर्ट कर दिया जाएगा।
- वेतन निर्धारण के संबंध में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा:
"ऐसे मामलों में जहां तदर्थ पदोन्नति के बाद बिना किसी अंतराल के नियमित नियुक्ति की जाती है, यह विकल्प प्रारंभिक नियुक्ति या पदोन्नति की तिथि से स्वीकार्य है जिसका प्रयोग ऐसी नियमित नियुक्ति की तिथि से एक माह के भीतर किया जाना है।"

5. यह नियुक्ति की अन्य सभी पात्र अधिकारियों वरिष्ठता और नियमित आधार पर पदोन्नति के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी और इससे उसे न तो नियमित आधार पर पदोन्नति का दावा करने का कोई अधिकार मिलेगी, न ही वरिष्ठता का।

6. श्री जय कुमार, क्षे.भ.नि.आ.-I की तदर्थ आधार पर अपर केंद्रीय भ.नि. आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट एचआरएम, मुख्यालय को ई-मेल के माध्यम से rc1.hrm@epfindia.gov.in पर भेजी जाएगी। इसके अलावा, इसे एचआर-सॉफ्ट पोर्टल पर भी अपडेट किया जाएगा।

(सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी)

शारिक

(मौहम्मद शारिक)

क्षे.भ.नि.आ.-I (मा.सं.प्र-I)

सेवा में,

1. संबंधित अधिकारी

प्रतिलिपि: (कभनिसं वेबसाइट के माध्यम से)

- i. माननीय अध्यक्ष, के.न्या.बो., क.भ.नि के निजी सचिव।
- ii. सचिव, श्रम एवं रोजगार के प्रधान निजी सचिव।
- iii. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निजी सचिव।
- iv. वि.सला. एवं मु.ले.अधि./मु.सत.अधि./सभी अ.के.आ.(मुख्या)/ निदेशक (पीडीनास) के निजी सचिव।
- v. सभी केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मुख्यालय और अंचल/मुख्य अभियंता।
- vi. सभी प्रभारी क्षे.भ.नि.आ. (सभी क्षेत्रीय कार्यालय)/ क्षे.भ.नि.आ. (प्रशा.), मुख्यालय/क्षे.भ.नि.आ. (एनडीसी)।
- vii. मुख्यालय के सभी अधिकारी।
- viii. सभी उप निदेशक (सतर्कता)/आंचलिक लेखापरीक्षा दल/ आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान के क्षे.भ.नि.आ.।
- ix. महासचिव, क.भ.नि. अधिकारी एसोसिएशन, लुधियाना।
- x. संबंधित अधिकारी के व्यक्तिगत फाइल।
- xi. एसीआर/जीआईएस अनुभाग, मुख्यालय की गार्ड फाइल।

शारिक

(मौहम्मद शारिक)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-I (मा.सं.प्र-I)